DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

21 June, 2024

डाकघर अधिनियम, 2023

संदर्भ: *1898 के औपनिवेशिक अधिनियम की जगह 18 जून से डाकघर अधिनियम 2023 लागू हो गया है।*

- **विस्तारित दायरा:** इसका उद्देश्य भारतीय डाकघर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है, जो अब पारंपरिक डाक सेवाओं से अलग है।
- **अवरोधन शक्तियाँ:** डाकघर अधिनियम की धारा 9 राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य कानूनों को लागू करने के हित में डाक वस्तुओं को रोकने, खोलने या रोकने के लिए नामित अधिकारियों को अधिकार देती है।
- **1898 अधिनियम से निरंतरता**: 1898 अधिनियम की धारा 19, 25 और 26 के समान, यह सार्वजनिक सुरक्षा और आपात स्थितियों के लिए डाक वस्तुओं के अवरोधन, जांच और निपटान को संबोधित करता है।
- **देयता छूट:** धारा 10 के तहत, डाकघर और उसके अधिकारियों को नियमों के तहत अन्यथा निर्दिष्ट किए जाने तक नुकसान या क्षति के लिए देयता से छूट दी गई है।
- **देयता छूट:** धारा 10 के तहत, डाकघर और उसके अधिकारियों को नियमों के तहत अन्यथा निर्दिष्ट किए जाने तक नुकसान या क्षति के लिए देयता से छूट दी गई है।
- **अपराधों और दंडों का उन्मूलन:** अधिनियम 1898 अधिनियम में उल्लिखित दंडों को समाप्त करता है, जैसे डाक अधिकारी के कदाचार, धोखाधड़ी या चोरी के लिए दंड।
- **डाक सेवाओं की विशिष्टता**: यह निजी कूरियर सेवाओं के उदय को स्वीकार करते हुए, पत्रों को संप्रेषित करने के लिए केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकार को हटा देता है।
- **निजी कूरियर सेवाओं का विनियमन:** पहली बार, यह निजी कूरियर सेवाओं को विनियमित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अवरोधन शक्तियाँ व्यापक रूप से डाक लेखों पर लागू होती हैं।

➢ **मुख्य मुद्दे और विश्लेषण:**

- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव:** अधिनियम में डाक लेखों को रोकने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव है, जो संभावित रूप से गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संघर्ष करता है।
- **अवरोधन के लिए व्यापक आधार:** अवरोधन के आधारों में 'आपातकाल' जैसे व्यापक शब्द शामिल हैं, जो उचित प्रतिबंधों के लिए संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
- **देयता संघर्ष से छूट**: देयता से छूट से हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि देयता को इंडिया पोस्ट का प्रशासन करने वाली एक ही इकाई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- **अपराधों और दंडों का अभाव**: भूमि राजस्व के बकाया के रूप में अवैतनिक शुल्क वसूलने के अलावा, अपराधों या दंडों का कोई प्रावधान नहीं है।

➢ **मुख्य विशेषताएं:**

- **महानिदेशक की भूमिका:** डाक सेवाओं के महानिदेशक को सेवा शुल्क, डाक टिकटों और अन्य परिचालन मामलों पर विनियमन की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- **अवरोधन की शक्तियाँ:** अधिकृत अधिकारी राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आपात स्थिति और कानूनों के उल्लंघन से संबंधित आधारों पर डाक वस्तुओं को रोक सकते हैं।
- **निषिद्ध वस्तुओं की जाँच और वितरण**: जिन वस्तुओं में निषिद्ध वस्तुएँ होने का संदेह है, उन्हें सरकारी अधिसूचना के तहत उचित कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपा जा सकता है।
- **देयता प्रावधान:** अधिनियम इंडिया पोस्ट, उसके अधिकारियों के लिए देयता से छूट बनाए रखता है और अवैतनिक सेवाओं के लिए वसूली योग्य राशि निर्दिष्ट करता है।

बिहार में आरक्षण को पुन: 50% किया गया

संदर्भ: *पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था।*

➢ **इंद्रा साहनी निर्णय:**

- सर्वोच्च न्यायालय के 1992 के इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय ने प्रशासनिक "दक्षता" सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की थी।
- इसने पात्रता के लिए "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन" पर आधारित मानदंडों को मान्य किया और पहले के निर्णयों में निर्धारित ऊर्ध्वाधर कोटा की सीमा को सुदृढ़ किया।

➢ **50% सीमा को चुनौती:**

- बाद के मामलों में बरकरार रखे जाने के बावजूद, बिहार जैसे राज्यों में 50% की सीमा को पार करने के प्रयास जारी हैं, जो राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना कराने की वकालत की।

➢ **कानूनी चुनौतियाँ और हालिया घटनाक्रम:**

- 50% आरक्षण सीमा को सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा जैसे अपवादों को बरकरार रखा गया है, जो सीलिंग को लागू करने में लचीलेपन का सुझाव देता है।

➢ **पुनर्व्याख्या और भविष्य के निहितार्थ:**

- 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने संकेत दिया कि 50% सीलिंग मुख्य रूप से एससी/एसटी और ओबीसी कोटा पर लागू होगी, जिससे इसकी लचीलापन पर बहस की गुंजाइश बनी हुई है।
- आलोचकों का तर्क है कि सीलिंग मनमानी है, जबकि समर्थक इसे डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा उल्लिखित समानता सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

➢ **राज्य-विशिष्ट आरक्षण और संवैधानिक संशोधन:**

- तमिलनाडु ने 1994 में संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत 50% की सीमा का उल्लंघन किया, जिससे न्यायिक जाँच से कानूनी सुरक्षा मिली।
- मराठा समुदाय के लिए सीमा पार करने के महाराष्ट्र के प्रयास को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जो राज्यों में अलग-अलग परिणामों को दर्शाता है।

➢ **भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान:**

- **भाग XVI**: केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)**: राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।
- **संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995**: सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (4ए) डाला गया।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001**: आरक्षण द्वारा पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए खंड (4ए) को संशोधित किया गया।
- **संविधान का 81वां संशोधन अधिनियम, 2000:** अनुच्छेद 16(4बी) डाला गया ताकि राज्य को अगले वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए खाली रह गए आरक्षित रिक्तियों को भरने की अनुमति मिल सके, उस वर्ष के लिए कुल रिक्तियों पर पचास प्रतिशत आरक्षण सीमा को दरकिनार करते हुए।
- **अनुच्छेद 330 और 332:** संसद और राज्य विधानसभाओं में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
- **अनुच्छेद 243डी**: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 233 T**: प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 335:** यह बताता है कि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर लगातार विचार किया जाएगा।

जैव विविधता वित्तीयन का अभाव

***संदर्भ**: एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को जैव विविधता वित्त में $20 बिलियन प्रति वर्ष प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विकसित देशों को वर्ष 2025 तक संघर्ष करना पड़ सकता है।*

प्रतिबद्धता और रिपोर्ट के निष्कर्ष

- **प्रतिबद्धता:** विकसित देशों ने COP16 में अपनाए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के हिस्से के रूप में 2025 तक विकासशील देशों को जैव विविधता वित्त में $20 बिलियन प्रति वर्ष प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- **कैंपेन फॉर नेचर की रिपोर्ट**: अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि विकसित देश इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर सकते हैं।
- **वर्तमान योगदान:**
  - 28 विकसित देशों में से केवल 2 ही अपना उचित हिस्सा दे रहे हैं।
  - अधिकांश विकसित देशों को कम से कम अपने वित्तपोषण को दोगुना करने की आवश्यकता है।
- **उचित हिस्सा योगदान:**
  - **नॉर्वे और स्वीडन**: अपने उचित हिस्से से अधिक योगदान दे रहे हैं।
  - **जर्मनी**: उचित हिस्से का 99%।
  - **फ्रांस**: उचित हिस्से का 92%।
  - **ऑस्ट्रेलिया**: उचित हिस्से का 74%।
- **सबसे बड़ा डॉलर गैप**: जापान, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, कोरिया और स्पेन, कुल मिलाकर कुल कमी का 71% हिस्सा हैं।

उचित शेयर गणना के लिए कार्यप्रणाली

- **विचार किए जाने वाले कारक:**
  - जैव विविधता पर ऐतिहासिक प्रभाव।
  - भुगतान करने की क्षमता।
  - जनसंख्या का आकार।

अनुशंसाएँ:

- **निधि में वृद्धि**: विकसित देशों को अपने जैव विविधता वित्त योगदान में वृद्धि करनी चाहिए।
- **मंत्रिस्तरीय पहल**: निधि वितरण के समन्वय के लिए एक उच्च-स्तरीय पहल की स्थापना करें।
- **निजी संसाधन**: सार्वजनिक वित्त और परोपकारी प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए विनियमन और प्रोत्साहन का उपयोग करें।
- **अमेरिकी योगदान**: अमेरिका, सम्मेलन का पक्षकार न होने के बावजूद, अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक जैव विविधता प्रभाव के कारण अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति वित्त में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए।

लक्ष्य को पूरा करने का महत्व:

- **विश्वास निर्माण:** वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण, विशेष रूप से कोलंबिया में COP16 के लिए।
- **आर्थिक लाभ**: जैव विविधता की रक्षा करने से उच्च आर्थिक लाभ मिलता है; वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा प्रकृति पर निर्भर करता है।
- **वैश्विक निहितार्थ**: निरंतर पारिस्थितिक क्षति से खाद्य और जल आपूर्ति, जलवायु, रोग प्रकोप और वैश्विक शांति और सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **आर्थिक नुकसान**: 1997 से 2011 तक, पारिस्थितिक क्षति के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर $4-20 ट्रिलियन का वार्षिक नुकसान हुआ।

लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने के परिणाम:

- **कन्वेंशन को कमजोर करता है**: लक्ष्य तक पहुँचने में विफलता जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को कमजोर करती है।
- **साझा समृद्धि के लिए खतरा**: समृद्धि, आजीविका, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक खतरा दर्शाता है।
- **कार्रवाई का आह्वान**: लेटिटिया पेटिनोटी, प्रमुख लेखिका, उच्च आय वाले देशों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं, क्योंकि उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

21 June, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में समारोह का नेतृत्व किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की पहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर, 2014 को यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान प्रस्तावित की थी।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उद्देश्यों में योग अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देना और वैश्विक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना शामिल है।
- 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाने का प्रस्ताव 177 देशों के समर्थन से पारित किया गया, जिससे यह यूएनजीए के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से समर्थित प्रस्तावों में से एक बन गया।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को नई दिल्ली के राजपथ पर मनाया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय **"स्वयं और समाज के लिए योग"** है।
- 2023 का विषय "वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग" है, जिसका अर्थ है "विश्व के लिए योग एक परिवार है"।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जनजातीय कारीगरों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए योग मैट की आपूर्ति की।

ग्रीष्म संक्रांति

21 जून 2024 में ग्रीष्म संक्रांति का दिन है।

ग्रीष्म संक्रांति के बारे में:

- ग्रीष्म संक्रांति एक खगोलीय घटना है जो वर्ष के सबसे लंबे दिन को चिह्नित करती है जो आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास होती है।
- यह लैटिन शब्दों "सोल" (सूर्य) और "स्टिटियम" (स्थिर रहना) से लिया गया है, जो आकाश में अपनी गति में रुकते हुए सूर्य को संदर्भित करता है।
- ग्रीष्म संक्रांति पर, सूर्य दोपहर के समय आकाश में अपने उच्चतम स्थान पर पहुँच जाता है।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव सूर्य की ओर लगभग 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है।
- कर्क रेखा (23.5° उत्तरी अक्षांश) पर सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ता है।

धारीदार सीसिलियन

हाल ही में, 14-17 जून को आयोजित एक रैपिड हर्पेटोफ़ौना सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार एक अंगहीन उभयचर (धारीदार सीसिलियन) दर्ज किया गया।

धारीदार सीसिलियन के बारे में:

- धारीदार सीसिलियन (इचथियोफिस एसपीपी) एक अंगहीन उभयचर है।
- "सीसिलियन" नाम लैटिन शब्द कैकस से आया है, जिसका अर्थ है "अंधा"।
- भारत का पश्चिमी घाट सीसिलियन के लिए एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें भारत में वर्णित 39 प्रजातियों में से 26 इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं।
- सीसिलियन एक सामान्य शिकारी है जो मिट्टी के अकशेरुकी जैसे केंचुआ, चींटियाँ, दीमक और बीटल प्यूपा खाता है।
- यह पत्ती के ह्यूमस और अन्य पौधों के टुकड़े भी खाता है।
- यह मिट्टी के नीचे बिल बनाता है; काजीरंगा की परिधि पर बाढ़ के मैदानों, आर्द्रभूमि, घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पाया जाता है।
- इसमें टेंटेकल्स, बुलेट के आकार की खोपड़ी और जबड़े को बंद करने वाली मांसपेशियों के दो सेट जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। कुछ सीसिलियन प्रजातियाँ बिना आँखों वाली होती हैं, जबकि अन्य की त्वचा के नीचे छोटी आँखें छिपी होती हैं।

मेवेन ऑर्बिटर

हाल ही में, नासा के मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन (मेवेन) ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर बैंगनी रंग की रोशनी का एक शानदार प्रदर्शन कैप्चर किया।

मेवेन ऑर्बिटर के बारे में:

- मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन (मेवेन) ऑर्बिटर नासा द्वारा 18 नवंबर, 2013 को लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य मंगल के ऊपरी वायुमंडल और सौर हवा के साथ इसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करना है।
- मेवेन ने 22 सितंबर, 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया।
- यह इमेजिंग अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोग्राफ (आईयूवीएस), न्यूट्रल गैस और आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर (एनजीआईएमएस) और सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनालाइजर (एसडब्ल्यूईए) जैसे उपकरणों से लैस है।
- मिशन का उद्देश्य यह समझना है कि सूर्य ने मंगल के वायुमंडल को कैसे नष्ट किया है, जिससे इसकी जलवायु और संभावित रहने की क्षमता प्रभावित हुई है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

सुर्खियों में स्थल

श्रीलंका

हाल ही में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत कोलंबो पहुँचे।

श्रीलंका (राजधानी: कोलंबो)

अवस्थिति: श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है, जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग है

सीमाएँ: श्रीलंका अपनी समुद्री सीमाएँ मालदीव (दक्षिण-पश्चिम) और भारत (उत्तर-पश्चिम) के साथ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- श्रीलंका का सबसे ऊँचा स्थान पिदुरुतलागला है।
- श्रीलंका की प्रमुख नदियों में महावेली, केलानी, वालावे, अरिवी अरु, कलुंगंगा और मदुरु ओया शामिल हैं।
- श्रीलंका ग्रेफाइट, रत्न और इल्मेनाइट (टाइटेनियम का एक स्रोत) सहित खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है

सदस्यता: श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र (यूएन), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों सहित विभिन्न संगठनों का सदस्य है।

भाषाएँ: सिंहली और तमिल आधिकारिक भाषाएँ हैं।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया है? – **भर्तृहरि महताब (कटक, ओडिशा से सात बार के सांसद)**
- बायोडीजल उत्पादन की लागत को संभावित रूप से कम करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में कौन सा अभिनव विकास किया है? – **सुपरहाइड्रोफोबिक (जल-विकर्षक) उत्प्रेरक**
- भारत में फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) को मंजूरी दी है? – **राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना (एनएफआईईएस)**
- प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिगैंड्स और उनकी अंतःक्रियाओं की संरचना की भविष्यवाणी करने में सक्षम एआई मॉडल अल्फाफोल्ड-3 को विकसित करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? – **डीपमाइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स**
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, भारत को स्थान मिला: – **63वां**